**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3517**

**सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक)**

**ई-श्रम पोर्टल की प्रभावशीलता और उपयोगिता**

**3517. श्री चरनजीत सिंह चन्नीः**

**श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी 2025 से प्रत्येक माह ई-श्रम पोर्टल का उपयोग करने वाले विशिष्ट उपयोगकर्ताओं की संख्या कितनी है और वर्ष-वार कुल उपयोगकर्ताओं की संचयी संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच में सुधार लाने में पोर्टल की प्रभावशीलता का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ई-श्रम पोर्टल पर सूचीबद्ध बारह योजनाओं के अंतर्गत सफलतापूर्वक लाभ प्राप्त करने वाले पंजीकृत श्रमिकों की गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संख्या का योजनावार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि तीस करोड़ से अधिक श्रमिकों के पंजीकरण के बावजूद, ई-श्रम पोर्टल ने मुख्य रूप से कल्याणकारी वितरण प्रणालियों में सीमित एकीकरण के साथ डेटा संग्रह साधन के रूप में कार्य किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार से जुड़े असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्ल्यू) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने हेतु दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और समर्थन करना है।

दिनांक 4 अगस्त 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करवा चुके हैं

जनवरी 2025 से प्रत्येक माह ई-श्रम पोर्टल का उपयोग करने वाले विशिष्ट उपयोगकर्ताओं की संख्या और जून 2025 तक उपयोगकर्ताओं की संचयी संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

ई-श्रम पर पंजीकृत कामगारों का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा, जिन्होंने ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप की गई केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सफलतापूर्वक लाभ प्राप्त किया है, अनुबंध-II और अनुबंध-III में दिया गया है।

जारी..2/-

ई-श्रम पोर्टल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने हेतु, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा ई-श्रम का तृतीय पक्ष मूल्यांकन/प्रभाव आकलन किया गया है।

बजट घोषणा 2024-25 के विज़न के अनुसार, असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच हेतु ई-श्रम को एक वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम-"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" की शुरुआत की। ई-श्रम-"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। इससे ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे और अब तक प्राप्त लाभों को देख सकेंगे।

यह पोर्टल केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लाभार्थियों के डेटा को समेकित करने हेतु डिज़ाइन किए गए एक सुविधा मंच के रूप में कार्य करता है। हालाँकि यह पोर्टल के साथ एकीकृत/मैप की गई योजनाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करता है, लेकिन यह नियंत्रक के रूप में कार्य नहीं करता है। पात्र लाभार्थी अपनी ई-श्रम पंजीकरण स्थिति की परवाह किए बिना इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

ई-श्रम कार्ड धारकों को लाभ तथा सामाजिक सुरक्षा, बीमा या कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करने के लिए अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-केएमवाई), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) शामिल हैं।

उपरोक्त योजनाओं के साथ-साथ, ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम), राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग), डिजिटल लॉकर (डिजिलॉकर), माईस्कीम और ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म (ओजीडी) के साथ भी एकीकृत किया गया है।

***

**अनुबंध -I**

**"ई-श्रम पोर्टल की प्रभावशीलता और उपयोगिता" के संबंध में दिनांक 11.08.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3517 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।**

जनवरी 2025 से जून 2025 तक प्रत्येक माह ई-श्रम पोर्टल का उपयोग करने वाले विशिष्ट उपयोगकर्ताओं की संख्या निम्नानुसार है:

| क्र.सं | माह (2025) | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | जनवरी | 14,89,619 |
| 2 | फरवरी | 13,87,276 |
| 3 | मार्च | 11,34,398 |
| 4 | अप्रैल | 10,76,603 |
| 5 | मई | 8,93,441 |
| 6 | जून | 7,40,062 |

जून 2025 तक ई-श्रम पोर्टल का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं की कुल संचयी संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

| क्र.सं | वर्ष | संचयी संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | 19,66,01,723 |
| 2 | 2022 | 32,95,14,050 |
| 3 | 2023 | 34,20,02,935 |
| 4 | 2024 | 36,42,06,497 |
| 5 | 2025 | 37,21,67,785 |

**अनुबंध-II**

**"ई-श्रम पोर्टल की प्रभावशीलता और उपयोगिता" के संबंध में दिनांक 11.08.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3517 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ एकीकृत/मैप किए गए चुनिंदा ई-श्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं की संख्या निम्नानुसार है:

| **योजना** | **पंजीकरण की संख्या** |
|---|---|
| वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) | 23,88,72,825 |
| आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेवाई) | 15,10,05,933 |
| प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीआई) | 8,45,71,947 |
| महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) | 6,13,13,022 |
| प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) | 3,92,94,453 |
| प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) | 2,25,52,062 |
| प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) | 97,22,670 |
| प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि) | 32,20,776 |
| प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) | 31,27,099 |
| प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) | 24,70,135 |
| प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) | 23,690 |
| राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस) | 16,667 |

स्रोत: ईश्रम डेटा।

**"ई-श्रम पोर्टल की प्रभावशीलता और उपयोगिता" के संबंध में दिनांक 11.08.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3517 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।**

ई-श्रम पर पंजीकृत कामगारों का राज्य-वार ब्यौरा, जिन्होनें केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ एकीकृत/मैप किए गए चुनिंदा ई-श्रम के तहत सफलतापूर्वक लाभ उठाया है, निम्नानुसार है:

| राज्य | कुल पंजीकरण (ओएनओआरसी) | कुल पंजीकरण (पीएमजेएवाई) | कुल पंजीकरण (पीएमएसबीवाई) | कुल पंजीकरण (मनरेगा) | कुल पंजीकरण (पीएमकिसान) | कुल पंजीकरण (पीएमजेजेबीवाई) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 9,011 | 25,952 | 11,373 | 2,168 | 1,284 | 4,865 |
| आंध्र प्रदेश | 53,63,423 | 75,15,832 | 30,73,650 | 34,16,800 | 10,31,732 | 11,31,800 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1,17,736 | 48,257 | 60,114 | 96,665 | 45,681 | 16,147 |
| असम | 70,12,734 | 41,17,057 | 16,27,229 | 24,12,329 | 10,21,731 | 3,77,514 |
| बिहार | 2,52,17,687 | 2,43,33,121 | 86,72,022 | 48,92,922 | 37,20,330 | 21,31,295 |
| चंडीगढ़ | 1,23,858 | 1,07,602 | 49,413 | 2,109 | 7,864 | 15,293 |
| छत्तीसगढ | 64,84,842 | 78,44,678 | 28,78,819 | 37,91,533 | 12,08,015 | 7,74,168 |
| दिल्ली | 22,47,285 | 4,29,700 | 8,05,915 | 28,724 | 1,18,110 | 2,05,148 |
| गोवा | 44,001 | 13,036 | 23,222 | 2,121 | 1,972 | 8,601 |
| गुजरात | 89,13,746 | 96,50,077 | 28,78,561 | 13,32,313 | 17,34,441 | 8,56,524 |
| हरियाणा | 44,30,606 | 43,28,984 | 14,64,540 | 5,36,518 | 4,26,659 | 6,04,849 |
| हिमाचल प्रदेश | 10,27,738 | 6,41,686 | 4,32,384 | 7,52,993 | 3,54,639 | 1,47,368 |
| जम्मू और कश्मीर | 27,97,239 | 34,03,318 | 1,23,470 | 9,46,484 | 4,69,291 | 26,101 |
| झारखंड | 82,20,264 | 52,47,851 | 37,46,452 | 23,06,683 | 12,59,031 | 11,01,745 |
| कर्नाटक | 76,37,774 | 39,97,719 | 22,56,394 | 29,81,145 | 9,66,824 | 7,40,000 |
| केरल | 36,48,638 | 22,81,031 | 11,41,700 | 12,34,346 | 10,84,653 | 2,15,316 |
| लद्दाख | 25,578 | 31,613 | 3,734 | 13,380 | 7,829 | 1,003 |
| लक्षद्वीप | 1,478 | 1,850 | 559 | 70 | 307 | 178 |
| मध्य प्रदेश | 1,54,56,667 | 1,27,37,090 | 64,49,821 | 41,35,987 | 28,84,721 | 14,96,700 |
| महाराष्ट्र | 1,36,64,681 | 1,08,76,080 | 49,82,593 | 26,52,307 | 22,40,076 | 15,03,751 |
| मणिपुर | 4,15,390 | 1,94,766 | 79,585 | 1,96,051 | 29,389 | 18,286 |
| मेघालय | 2,08,409 | 1,96,050 | 68,762 | 2,05,725 | 74,596 | 15,856 |
| मिजोरम | 51,799 | 49,335 | 8,747 | 26,865 | 21,002 | 2,029 |
| नागालैंड | 2,26,401 | 1,98,523 | 71,525 | 76,350 | 88,954 | 13,788 |
| ओडिशा | 1,21,78,131 | 26,761 | 55,23,663 | 27,99,524 | 19,66,713 | 15,79,294 |
| पांडिचेरी | 1,50,478 | 1,15,573 | 32,075 | 28,906 | 2,816 | 10,993 |
| पुदुचेरी | 5,092 | 3,803 | 1,060 | 1,055 | 127 | 369 |
| पंजाब | 44,81,448 | 30,51,292 | 15,52,042 | 6,98,630 | 2,37,139 | 4,82,440 |
| राजस्थान | 1,03,15,016 | 65,45,882 | 47,03,297 | 47,64,325 | 22,45,900 | 13,17,787 |
| सिक्किम | 36,302 | 11,241 | 14,725 | 15,072 | 4,958 | 5,365 |
| तमिलनाडु | 59,85,461 | 45,83,562 | 19,24,903 | 35,08,621 | 5,45,710 | 6,14,935 |
| तेलंगाना | 30,83,143 | 22,47,666 | 12,42,399 | 16,55,162 | 7,02,345 | 4,35,471 |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव | 54,188 | 51,974 | 17,034 | 1,583 | 4,376 | 7,045 |
| त्रिपुरा | 6,52,795 | 8,22,094 | 2,25,441 | 4,91,577 | 1,11,270 | 89,991 |
| उत्तर प्रदेश | 6,76,41,591 | 3,24,11,292 | 1,87,27,067 | 92,69,316 | 1,20,51,380 | 44,08,583 |
| उत्तराखंड | 21,11,450 | 27,66,084 | 8,74,394 | 6,10,701 | 3,55,946 | 1,98,896 |
| पश्चिम बंगाल | 1,88,30,745 | 97,501 | 88,23,263 | 54,25,962 | 22,66,642 | 19,92,568 |
| **कुल** | **23,88,72,825** | **15,10,05,933** | **8,45,71,947** | **6,13,13,022** | **3,92,94,453** | **2,25,52,062** |

जारी..2/-

| राज्य | कुल पंजीकरण (पीएमएवाई जी) | कुल पंजीकरण (पीएम स्वनिधि) | कुल पंजीकरण (पीएमएमवीवाई) | कुल पंजीकरण (पीएमएवाई यू) | कुल पंजीकरण (पीएमएमएसवाई) | कुल पंजीकरण (एनएफबीएस) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 356 | 182 | 25 | 15 | 13 | - |
| आंध्र प्रदेश | 60,575 | 1,31,571 | 45,967 | 4,69,724 | 1,176 | - |
| अरुणाचल प्रदेश | 7,900 | 2,490 | 82 | 2,154 | 17 | - |
| असम | 2,78,591 | 24,785 | 1,46,670 | 27,574 | 2,693 | 1,479 |
| बिहार | 18,52,232 | 83,846 | 4,75,010 | 44,096 | 521 | 1,187 |
| चंडीगढ़ | 832 | 3,410 | 3,264 | 76 | - | - |
| छत्तीसगढ | 5,07,667 | 44,349 | 1,39,918 | 77,583 | 178 | 886 |
| दिल्ली | 16,520 | 92,433 | 57,693 | 3,385 | 6 | 2 |
| गोवा | 132 | 318 | 1,131 | 8 | 24 | - |
| गुजरात | 2,51,123 | 2,27,479 | 1,13,833 | 26,838 | 93 | 349 |
| हरियाणा | 16,951 | 77,810 | 37,878 | 8,855 | 298 | 18 |
| हिमाचल प्रदेश | 9,985 | 2,738 | 600 | 4,092 | 75 | - |
| जम्मू और कश्मीर | 1,35,215 | 11,033 | 55,469 | 16,960 | 410 | - |
| झारखंड | 5,66,311 | 44,420 | 99,379 | 41,227 | 1,842 | 498 |
| कर्नाटक | 55,364 | 1,50,293 | 1,94,628 | 22,563 | 187 | 2,665 |
| केरल | 10,080 | 49,366 | 57,783 | 43,615 | 458 | 2,677 |
| लद्दाख | 470 | 126 | 545 | 95 | 24 | - |
| लक्षद्वीप | 10 | 3 | 28 | 1 | 1 | - |
| मध्य प्रदेश | 2,91,519 | 4,69,325 | 4,80,040 | 1,85,445 | 598 | 2 |
| महाराष्ट्र | 2,20,237 | 3,14,285 | 2,62,391 | 35,046 | 747 | 2,072 |
| मणिपुर | 28,723 | 4,825 | 14,464 | 8,097 | 216 | 206 |
| मेघालय | 44,157 | 19 | 3,633 | 710 | 409 | 126 |
| मिजोरम | 5,035 | 584 | 347 | 2,471 | 5 | 9 |
| नागालैंड | 13,140 | 1,573 | 3,660 | 7,435 | 613 | 1 |
| ओडिशा | 11,40,201 | 34,973 | 1,816 | 75,001 | 414 | 977 |
| पांडिचेरी | 84 | 1,502 | 1,203 | 4,914 | 6,918 | - |
| पुदुचेरी | 2 | 55 | 28 | 269 | 46 | - |
| पंजाब | 17,007 | 76,024 | 1,08,176 | 14,262 | 45 | - |
| राजस्थान | 4,42,079 | 88,699 | 4,63,141 | 49,276 | 3 | 1 |
| सिक्किम | 198 | 258 | 260 | 4 | 31 | - |
| तमिलनाडु | 2,06,825 | 85,092 | 33,068 | 44,485 | 1,629 | 1 |
| तेलंगाना | 692 | 1,38,058 | 790 | 776 | 55 | 5 |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव | 1,081 | 705 | 122 | 148 | 3 | - |
| त्रिपुरा | 1,55,303 | 2,798 | 65 | 20,357 | 1,123 | 21 |
| उत्तर प्रदेश | 17,67,736 | 9,53,486 | 2,43,601 | 10,89,608 | 1,621 | 2 |
| उत्तराखंड | 37,390 | 15,121 | 58,159 | 14,500 | 185 | 166 |
| पश्चिम बंगाल | 15,80,947 | 86,742 | 22,232 | 1,28,470 | 1,013 | 3,317 |
| **कुल** | **97,22,670** | **32,20,776** | **31,27,099** | **24,70,135** | **23,690** | **16,667** |

स्रोत: ईश्रम डेटा

*****